उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 03AA 928104

48. किसी अन्य सरकारी तथा गैर सरकारी तंत्र अथवा एन०जी०ओ०, एसोसियेशन, ट्रस्ट को आर्थिक सहायता देना उनके क्रिया – कलापों में सहयोग देना जिनके उद्देश्य इस संस्था से मिलते हों।

49. सरकारी तथा गैर सरकारी/लोगों/संस्थाओं/तंत्रों/कम्पनी/दुकानों से आर्थिक सहायता लेकर संस्था के उद्देश्य की पूर्ति करना। इसमें विभिन्न प्रकार के डोनेशंस, ग्रान्ट, गिफ्ट, चल एवं अचल सम्पत्ति सम्मिलित है।

50. विभिन्न पंजीकृत संस्थाओं को संगठित करना तथा उन्हें विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी देना या आर्थिक सहायता पहुँचाना।

51. संस्था के उद्देश्य की प्राप्ति के लिये इसके शाखा या इसके क्रिया–कलापों को आवश्यकतानुसार अन्य जिला/प्रदेशों में स्थापित करना या फैलाना।

52. सरकारी, अर्द्ध सरकारी अथवा गैर सरकारी बैंकों से संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये ऋण या सहायता प्राप्त करना।

5. ट्रस्ट मण्डल के अधिकार एवं कर्त्तव्य

1. समान उद्देश्य की अन्य संस्थाओं व ट्रस्टों से सहयोग एवं सम्पर्क स्थापित करना तथा राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार से सहायता प्राप्त करना।
2. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु तथा इसके विभिन्न ईकाइयों को सुचारू व्यवस्था के लिये अन्य संस्थाओं की स्थापना करना तथा इसके लिये समितियों एवं उप समितियों का गठन करना।
3. ट्रस्ट के अधीन संस्थाओं व समितियों के सुचारू रूप से संचालन के लिये समिति पंजीकरण अधिनियम के अनुसार उनकी अलग नियमावली तथा उप नियमों को बनाना।

Jagdish Kumar

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 03AA 928105

4. ट्रस्ट के अधीन स्थापित संस्थाओं व समितियों की सदस्यता के लिये नियम प्रावधानों को लिखित रूप में तैयार करना तथा इसके लिये धन की व्यवस्था हेतु सदस्यता शुल्क, दान, चंदा इत्यादि करना तथा उनकी प्रबन्ध इकाईयां गठित करना।
5. ट्रस्ट के अधीन स्थापित संस्थाओं को संचालित करने एवं उनकी व्यवस्था के लिये लाभार्थियों से शुल्क प्राप्त करना।
6. ट्रस्ट की सम्पत्ति की देख-भाल करना, तथा ट्रस्ट की सम्पत्ति को बढ़ाने के लिये सतत् प्रयास करना और आवश्यकता पड़ने पर ट्रस्ट की सम्पत्ति को नियमानुसार हस्तान्तरित करना व अन्य प्रकार से उसकी व्यवस्था करना।
7. ट्रस्ट के अधीन स्थापित संस्थाओं व गठित समितियों में अनियमितता की स्थिति उत्पन्न होने तथा किन्हीं आकस्मिक परिस्थितियों में उसके संचालन के बाबत गठित समिति को भंग कर उसकी सम्पूर्ण व्यवस्था ट्रस्ट में निहित करना।
8. ट्रस्ट के अधीन स्थापित एवं संचालित संस्थाओं, विद्यालयों, शिक्षण केन्द्रों, चिकित्सालयों, शोध केन्द्रों, गौ-शालाओं व अन्य समस्त समितियों के लिये आवश्यक कर्मचारियों की नियुक्ति करना और इस प्रकार नियुक्त कर्मचारियों के लिये आचरण एवं व्यवहार नियमावली तैयार करना उनके हित में अन्य कार्यों को करना।
9. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये तथा ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं के हित में व्यक्तियों, संस्थाओं, सरकारी, अर्द्ध-सरकारी, गैर सरकारी, विभागों से दान, उपहार, अनुदान, ऋण व अन्य श्रोतों से धन व सम्पत्तियों को प्राप्त करना तथा विभिन्न माध्यमों से ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये खर्च करना।
10. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये ट्रस्ट मण्डल द्वारा संकल्पित समस्त कार्यों को करना।
11. दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर की प्रथम परिनियमावली व उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार निर्धारित शर्तों को पूर्ण कर स्नातक व परास्नातक स्तर पर शैक्षिक व व्यावसायिक पाठ्यक्रम का संचालन करना और इस हेतु स्नातक व स्नातकोत्तर

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 03AA 928106

महाविद्यालयों/इन्स्टीट्यूट्स की स्थापना करना। इस प्रकार स्थापित शैक्षिक संस्थाओं के सुचारू प्रबन्ध व्यवस्था हेतु निर्धारित शर्तों का पालन करते हुए प्रशासन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी/ कुलपति से स्वीकृति प्राप्त करना।

12. ट्रस्ट द्वारा स्थापित की जाने वाली शैक्षिक/तकनीकी/गैर तकनीकी विद्यालयों व इन्स्टीट्यूट्स की मान्यता व सम्बद्धता के सम्बन्ध में सम्बन्धित प्राधिकारी/ परिनियमावली द्वारा निर्धारित प्रतिबन्धों को पूर्ण कर समस्त आवश्यक कार्य करना।

6. ट्रस्ट की प्रबन्ध व्यवस्था

(क) ट्रस्ट का गठन एवं संचालन–

ट्रस्ट का गठन एवं संचालन निम्नलिखित रूप से किया जायेगा:–

1. ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी एवं प्रबन्धक हम मुकिर होगें और ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी को अपने जीवनकाल में अगले मुख्य ट्रस्टी को नामित करने का अधिकार होगा। मुख्य ट्रस्टी का यह अधिकार उसके द्वारा वसीयत के माध्यम से अगले मुख्य ट्रस्टी को नामित करने के अधिकार को प्रतिबन्धित नहीं करेगा। यदि किन्ही परिस्थितियों में अपने उत्तराधिकारी की नियुक्ति किये जाने के पूर्व मुख्य ट्रस्टी की मृत्यु हो जाय तो ट्रस्ट के शेष ट्रस्टियों को मुख्य ट्रस्टी के विधिक उत्तराधिकारियों में से योग्य व्यक्ति को बहुमत के आधार पर ट्रस्ट का मुख्य ट्रस्टी चयनित करने का अधिकार होगा।

2. मुख्य ट्रस्टी की अनुपस्थिति, बीमारी या कार्य करने की अक्षमता की अवस्था में उनके द्वारा निर्धारित ट्रस्टी मुख्य ट्रस्टी के रूप में कार्य करने के लिये अधिकृत होगा।

3. ट्रस्ट मण्डल के सदस्यों में से ट्रस्टीगण को ट्रस्ट की सुचारू प्रबन्ध व्यवस्था के लिए ट्रस्ट के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की जा सकेगी और इस प्रकार नियुक्त किये गये ट्रस्टियों का कार्याधिकार निश्चित किया जा सकेगा। ट्रस्ट के उक्त पदाधिकारियों का निर्वाचन ट्रस्ट मण्डल द्वारा अपने में से बहुमत के आधार पर किया जायेगा। ट्रस्ट के पदाधिकारियों के निर्वाचन में मूलतः आम सहमति के आधार पर कार्यवाही सम्पन्न की जायेगी। यदि किन्ही परिस्थितियों में

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये रु.20

Rs.20 TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 03AA 928107

ऐसा किया जाना सम्भव नहीं हो सका तो पदाधिकारियों का निर्वाचन मुख्य ट्रस्टी की देख-रेख में कराया जा सकेगा और इस प्रकार से निर्वाचन सम्पन्न किये जाने पर मुख्य ट्रस्टी का निर्णय सभी ट्रस्टियों के लिये मान्य एवं अन्तिम होगा।

4. ट्रस्ट मण्डल के किसी भी ट्रस्टी के त्याग-पत्र देने अथवा मृत्यु होने पर उनका स्थान रिक्त हो जायेगा और ऐसी स्थिति में हुई रिक्ति की पूर्ति मुख्य ट्रस्टी द्वारा ट्रस्ट के हितैषी किसी अन्य व्यक्ति को नामित करके कर ली जायेगी।

5. ट्रस्ट मण्डल के किसी सदस्य को उसके द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने अथवा ट्रस्ट के हितों के विपरीत आचरण करने की दशा में ट्रस्ट मण्डल द्वारा उन्हें सामान्य बहुमत से ट्रस्ट से पृथक कर दिया जायेगा और उनके स्थान पर पूर्व में दिये गये प्रावधानों के अनुसार सुयोग्य एवं हितैषी व्यक्ति को ट्रस्ट मण्डल के ट्रस्टी के रूप में संयोजित कर लिया जायेगा। यदि कोई ट्रस्टी उक्त प्रकार से ट्रस्ट से पृथक नहीं किया जाता है तो उसे ट्रस्ट मण्डल के सदस्य के रूप में आजीवन कार्य करने का अधिकार प्राप्त होगा।

6. ट्रस्ट द्वारा संचालित महाविद्यालय के प्राचार्य एवं शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारी के प्रतिनिधि, विश्वविद्यालय परिनियमावली के अनुसार उसके प्रबन्ध व्यवस्था के लिये नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत या अनुमोदित कराये गये प्रशासन योजना के अनुसार सम्बन्धित महाविद्यालय के प्रबन्ध समिति के पदेन सदस्य होंगे तथा उन्हे नियमानुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करने का अधिकार प्राप्त होगा।

7. ट्रस्ट मण्डल का कोई भी ट्रस्टी किसी भी व्यक्ति या संस्था से यदि कोई व्यक्तिगत लेन-देन करता है तो ट्रस्ट का इस सम्बन्ध में कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा, बल्कि सम्बन्धित ट्रस्टी इसके लिए स्वयं उत्तरदायी होगा।

8. ट्रस्ट के कार्यों के लिए मुख्य ट्रस्टी अथवा न्यास मंडल द्वारा भेजे गये किसी प्रतिनिधि के द्वारा किये गये खर्चे व उसके संबंध में प्रस्तुत व्यय राशि से संबंधित बिलों व वाउचरों को स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार मुख्य न्यासी के पास सुरक्षित होगा।

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये रु.20 INDIA Rs.20 TWENTY RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 03AA 928108

(ख) ट्रस्ट की बैठक एवं वार्षिक अधिवेशन

1. ट्रस्ट मण्डल की वर्ष में एक बार वार्षिक बैठक अवश्य होगी। उक्त वार्षिक बैठक में ट्रस्ट के अधीन संचालित सभी संस्थाओं/समितियों के प्रबन्धक/सचिव व प्राचार्य तथा अन्य पदाधिकारीगण भी भाग लेंगे। वार्षिक बैठक की सूचना उक्त सभी व्यक्तियों को 15 दिन पूर्व मुख्य ट्रस्टी द्वारा दी जायेगी और उपरोक्त सभी व्यक्तियों का वार्षिक बैठक में उपस्थित होना अनिवार्य होगा। वार्षिक बैठक से अनुपस्थित व बैठक में भाग न लेने वाले सदस्यों की यह अयोग्यता समझी जायेगी। कोई भी व्यक्ति मुख्य ट्रस्टी की पूर्व अनुमति से ही वार्षिक बैठक से अनुपस्थित हो सकता है।

2. वार्षिक बैठक में ट्रस्ट के साल भर के क्रिया – कलापों पर विचार होगा और आय–व्यय पर विचार कर ट्रस्ट का बजट निर्धारित किया जायेगा। विचारोपरान्त बहुमत से पारित नियम एवं निर्णय पर ट्रस्ट मण्डल का फैसला अन्तिम होगा।

7. मुख्य ट्रस्टी /प्रधान प्रबन्धक के अधिकार एवं कर्तव्य

- इस ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी/प्रबन्धक के रूप में कार्य करने तथा ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं एवं विद्यालयों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य करना।
- ट्रस्ट से सम्बन्धित प्रत्येक प्रकार की धनराशियों को प्राप्त करके उसकी रसीद देना।
- ट्रस्ट की समस्त कार्यवाही लिखना व अन्य अभिलेखों को तैयार करना/कराना।
- ट्रस्ट की बैठकों को आमंत्रित करना तथा उसकी सूचना ट्रस्ट मण्डल के सदस्यों को देना।
- ट्रस्ट की चल व अचल सम्पत्ति की सुरक्षा करना तथा ट्रस्ट के आय–व्यय का हिसाब–किताब तथा रिपोर्ट ट्रस्ट मण्डल के समक्ष रखना।

Babloo Kumar Rai

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये रु.20 Rs.20 TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 03AA 928109

- ट्रस्ट की ओर से ट्रस्ट की समस्त चल-अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण व प्राप्ति से सम्बन्धित विलेखों को हस्ताक्षरित करना।
- ट्रस्ट द्वारा तथा ट्रस्ट के विरुद्ध की जाने वाली विधिक कार्यवाहियों में ट्रस्ट की ओर से पैरवी करना तथा अधिवक्ता व मुख्तार नियुक्त करना।
- इस ट्रस्ट विलेख द्वारा प्राप्त अन्य अधिकारों का प्रयोग करना तथा ट्रस्ट की मुख्य प्रबन्धक के रूप में शेष ट्रस्टियों के सहयोग से ट्रस्ट के हित में अन्य समस्त कार्यों को करना।
- ट्रस्ट के वार्षिक बैठक की अध्यक्षता करना।
- ट्रस्ट के आय-व्यय का रिपोर्ट तैयार करना तथा ट्रस्ट मण्डल द्वारा अधिकृत लेखा परीक्षक से ट्रस्ट के आय व्यय का लेखा परीक्षण कराना।
- ट्रस्ट के वित्त सम्बन्धी लेखों का सुचारू रूप से रख-रखाव करना।

8. **ट्रस्ट के कोष की व्यवस्था**

ट्रस्ट के कोष के सुचारू रख-रखाव एवं उसकी व्यवस्था हेतु किसी डाकघर या राष्ट्रीयकृत/मान्यता प्राप्त अधिसूचित बैंक में ट्रस्ट के नाम खाता खोला जायेगा, जिसमें ट्रस्ट को प्राप्त होने वाली समस्त प्रकार की धनराशियां एवं ऋण राशियाँ निहित होंगी, ट्रस्ट के नाम खोले गये खाते का संचालन मुख्य ट्रस्टी द्वारा अकेले अथवा मुख्य ट्रस्टी द्वारा अधिकृत ट्रस्टी के साथ संयुक्त रूप से किया जायेगा।

9. **ट्रस्ट के अभिलेख**

ट्रस्ट के अभिलेखों को तैयार करने/कराने व रख-रखाव का दायित्व मुख्य ट्रस्टी का होगा। मुख्य ट्रस्टी द्वारा प्रमुख रूप से ट्रस्ट के लिये सूचना रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, सम्पत्ति रजिस्टर व लेखे का रजिस्टर इत्यादि रखा जायेगा।

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 03AA 928110

10. ट्रस्ट के सम्पत्ति की व्यवस्था

ट्रस्ट के सम्पत्ति की व्यवस्था निम्नलिखित रूप में की जायेगी:–

- यह कि ट्रस्ट मण्डल द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु व्यक्तियों, वित्तीय संस्थाओं व बैंकों से दान, सहायता या ऋण इत्यादि लिया जा सकेगा और किसी भी उचित व वैधानिक माध्यम से ट्रस्ट की आय बढ़ाया जा सकेगा। इस सम्बन्ध में ट्रस्ट की ओर से दस्तावेज निष्पादित करने के लिये मुख्य ट्रस्टी व एक अन्य ट्रस्टी, जिसे कि मुख्य ट्रस्टी उचित समझे अधिकृत होंगे।
- यह कि मुख्य ट्रस्टी ट्रस्ट की तरफ से स्थापित संस्थाओं एवं समितियों को संचालित करने के लिये भूमि एवं भवन क्रय कर सकेंगे या किसी चल या अचल सम्पत्तियों के अधिग्रहण के लिये आवश्यक कार्यवाही कर सकेंगे। ट्रस्ट मण्डल ट्रस्ट की सम्पत्ति या सम्पत्तियों को किराये पर दे सकेगा या बेच सकेगा।
- यह कि ट्रस्ट की सम्पत्ति को क्षति पहुँचाने या दुरुपयोग करने वाले को दण्डित करने का अधिकार ट्रस्ट मण्डल को प्राप्त होगा। ट्रस्ट व उसके अधीन संस्थाओं एवं समितियों के अधिकारियों व कर्मचारियों के विरूद्ध मुख्य ट्रस्टी द्वारा की गयी कार्यवाही की अपील ट्रस्ट मण्डल द्वारा सुनी जायेगी।
- ट्रस्ट द्वारा स्थापित व संचालित किसी भी संस्था व विद्यालय में प्रबन्धकीय विवाद उत्पन्न होने पर उसके सम्बन्ध में ट्रस्ट मण्डल का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा परन्तु यदि किसी परिस्थितिवश ऐसा नहीं हो सका तो विवाद के लम्बित रहने के दौरान सम्बन्धित संस्था या विद्यालय का प्रबन्धन व उसकी सम्पत्ति की व्यवस्था ट्रस्ट में निहित रहेगी ।